

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'एप्लिकेशन आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएं के लिए ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क' पर अनुशंसाएं जारी कीं।

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'एप्लिकेशन आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएं के लिए ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क' पर अनुशंसाएं जारी कीं।

2. उभरते प्रसारण परिदृश्य को देखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 15 दिसंबर 2025 को भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा को एक रिफरेंस भेजा, जिसमें भादूविप्रा से कहा गया कि वह समानता, कंटेंट जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने वाली मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (FAST) सेवाएं के लिए एक विनियामक ढांचे की जाँच करना और उस पर अपनी अनुशंसाएं दे।

3. भादूविप्रा ने ऐसी सेवाओं की जांच की और यह पाया है कि कई एप्लिकेशन शेड्यूल लीनियर टीवी चैनलों को एग्रीगेट और उपभोक्ताओं को वितरित करते हैं, या तो वे टीवी सेट और अन्य उपकरणों पर पूर्व-स्थापित एप्लिकेशन के रूप में होते हैं या डाउनलोड करने योग्य मोबाइल/स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन के रूप में; या वेब ब्राउज़रों के माध्यम से सुलभ वेब-आधारित एप्लीकेशंस के रूप में। कनेक्टेड टीवी के माध्यम से सेवाओं के प्रावधान के ऐसे व्यापक दायरे को देखते हुए, ऐसी सेवाओं को व्यापक रूप से 'एप्लिकेशन-आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएँ', जिसमें FAST सेवाएँ शामिल हैं, के रूप में संदर्भित किया गया है।

4. तदनुसार, प्राधिकरण ने 6 अप्रैल 2026 को 'एप्लिकेशन आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएं (जिसमें मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (FAST) सेवाएं शामिल हैं), के लिए एक विनियामक ढांचे का निर्माण' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था और हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थीं। जवाब में, 207 टिप्पणियाँ और 11 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, 10 जून 2026 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें हितधारकों को परामर्श के अंतर्गत शामिल मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों, ओएचडी के दौरान एकत्र किए गए इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने 'एप्लिकेशन आधारित रेखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) सेवाएं' के लिए ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। इन अनुशंसाओं में शामिल हैं:- नवाचार, व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करना, उपभोक्ता संरक्षण और विनियामक निश्चितता को बढ़ावा देते हुए लीनियर टेलीविजन चैनलों के इंटरनेट-आधारित वितरण के लिए एक लाईट टच और भविष्य के लिए नीतिगत ढांचा स्थापित करना। ये अनुशंसाएं, प्राधिकरण द्वारा 21 फरवरी, 2025 को जारी 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं में प्रावधानों हेतु सेवा प्राधिकारों के फ्रेमवर्क' संबंधी सिफारिशों में प्रस्तावित व्यापक प्राधिकरण ढाँचे पर आधारित हैं तथा उसकी पूरक हैं।

6. चूंकि 'ALTD सेवा' सार्वजनिक इंटरनेट या अन्य IP-आधारित नेटवर्क पर लीनियर टेलीविजन चैनलों को एग्रीगेट और वितरित करती है और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के इंटरनेट-सक्षम उपकरणों में पारंपरिक टेलीविजन वितरण प्लेटफार्मों के समान टेलीविजन देखने का अनुभव प्रदान करती है, प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत ब्रौडकास्टिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' के अंतर्गत 'ALTD सेवा' को एक अलग उप-श्रेणी के रूप में शामिल किया जाए। इसके अलावा ये अनुशंसाएं एक ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क निर्धारित करती हैं, जिसमें ऑथराइजेशन प्रदान करने तथा 'ALTD सेवा' के प्रावधान, दोनों के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं। अनुशंसाएं मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) प्रदाताओं और टीवी चैनलों के प्रसारकों/ कंटेंट मालिकों जैसे प्रमुख हितधारकों के लिए दायित्व भी प्रदान करती हैं; उपभोक्ता संरक्षण के उपाय; और टेलीविजन दर्शकों के माप ढांचे में ALTD दर्शकों की संख्या को शामिल करना, जिससे लीनियर टेलीविजन वितरण सेवाओं के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके।

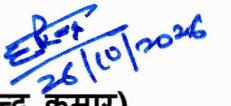
7. अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं :

- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत 'ALTD सेवा' का समावेश।
- 'ALTD सेवा' को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत लीनियर टेलीविजन चैनलों को एग्रीगेट करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 'इंटरनेट-नेटिव लीनियर टेलीविजन चैनल' हैं (स्वीकृत नाम और लोगो के साथ) और ALTD एप्लिकेशन प्रदाता के अपने प्लेटफॉर्म सर्विस चैनल शामिल हैं, और ऐप, वेबसाइटों या इसी तरह के इंटरफेस के माध्यम से सार्वजनिक इंटरनेट या अन्य आईपी-आधारित नेटवर्क पर ऑन-डिमांड ऑडियो-विजुअल कंटेंट सहित मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ या बिना उपयोगकर्ताओं को इसका वितरण किया जाता है।

- इसके दायरे में भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसे एप्लीकेशंस का विकास, तैनाती और प्रबंधन शामिल है और इसमें प्रसारक-स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म शामिल नहीं हैं जो केवल अपने स्वयं के चैनल या सहायक/होल्डिंग कंपनी के चैनल वितरित करते हैं; और सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लाइव स्ट्रीम करते हैं।
- 'ALTD सेवा' ऑथराइजेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 के अंतर्गत नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए, और ऑथराइजेशन, चैनल पंजीकरण और रिपोर्टिंग प्रोसेस को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होना चाहिए।
- एप्लिकेशन प्रदाता को जिम्मेदार प्राथमिक इकाई के रूप में अनुशंसित किया गया है जो कि 'ALTD सेवा' प्रदान हेतु ऑथराइजेशन प्राप्त करेगा और ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क पर लागू नियमों का पालन करेगा।
- एक सरल ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क का सुझाव दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र, 20 वर्षों की शुरुआती वैधता, जिसे बाद में 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा, 10,000 रुपये की आवेदन प्रोसेसिंग फीस और 1 लाख रुपये की एकमुश्त एंटी फीस शामिल है। इसमें कोई अलग ऑथराइजेशन फीस, बैंक गारंटी या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा।
- ऑथराइजेशन प्रदान करने के विस्तृत नियम और शर्तें; और 'ALTD सेवा' पर लागू सामान्य और विशिष्ट नियमों और शर्तों को प्रसारण सेवाओं के लिए ऑथराइजेशन ढाँचे पर ट्राई की अनुशंसाओं के अनुरूप की गई है, जिसमें 'ALTD सेवा' की एप्लीकेशन-बेस्ड और हल्के-बुनियादी ढाँचे प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त संशोधन शामिल हैं।
- एमआईबी को 'मास्टर ALTD ऐप रिपॉजिटरी' बनाए रखना चाहिए। ओईएम (टेलीविजन निर्माताओं सहित) और ओएस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल अधिकृत ALTD एप्लिकेशन ही उनके उपकरणों और एप्लिकेशन स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। उन्हें निर्धारित प्रारूप में एमआईबी को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- मौजूदा अनुमति/प्राधिकृत टेलीविजन चैनलों के अतिरिक्त, 'इंटरनेट-नेटिव लीनियर टेलीविजन चैनलों' के पंजीकरण के लिए एक सरल फ्रेमवर्क की अनुशंसा की गई है।
- 'ALTD सेवा' की अधिकृत इकाई केवल उन्हीं टेलीविजन चैनलों का वितरण करेगी, जिनके पास केंद्र सरकार से वैध अनुमति/प्राधिकार या पंजीकरण प्राप्त है।
- एप्लिकेशन प्रदाता को 'ALTD सेवा' से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों और शिकायत निवारण के लिए संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में काम करना चाहिए।
- ALTD एप्लीकेशंस के माध्यम से वितरित टेलीविजन चैनलों के दर्शकों की संख्या को टेलीविजन दर्शक माप ढाँचे में एकीकृत किया जाना चाहिए, और अधिकृत ALTD एप्लिकेशन

प्रदाताओं को टीवी रेटिंग नीति, 2026 के अनुसार अनाम आवधिक दर्शकों की संख्या डेटा प्रकाशित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

8. इन अनुशंसाओं का उद्देश्य एक सक्षम ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क प्रदान करके, इंटरनेट-आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण सेवाओं के व्यवस्थित विकास को सुगम बनाना है।
9. उपर्युक्त अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएँ), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।


(हरिन्द्र कुमार)
सचिव, भादूविप्रा